

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 700826/16

संस्थित दिनांक-19.12.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा
जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

डबलू उर्फ डबू पुत्र रामरतन कुशवाह
उम्र 30 साल, निवासी पिपाहडी
थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 15.06.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 324 दो काउण्ट के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 30.10.16 को करीब 19:30 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत फरियादी के घर के सामने आम रास्ता ग्राम पिपाडी सार्वजनिक स्थान पर फरियादी रामरतन को उपहति कारित करने के आशय से फरसे से मारपीट कर उसे तथा उसे बचाने आए रामहेत को भी फरसे से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आहत का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 294, 506 भाग दो के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 दो काउण्ट के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी अशोक जाटव से अभियुक्त जनकसिंह का पुराना हिस्सा बांट की रंजिश थी। दिनांक 10.11.16 को सुबह करीब दस बजे फरियादी अशोक दुकान पर बीडी लेने जा रहा था और घर के सामने आया तो वहां अभियुक्तगण मिले और मादरचोद बहनचोद की बुरी बुरी गालियां देने लगे। गाली देने से मना करने पर अभियुक्त जनकसिंह ने पकड़ लिया और नारायण ने कुल्हाड़ी की मूंद तरफ से मारा जिससे सिर में घाव होकर खून निकला। फरियादी चिल्लाया तो उसके पिता दाताराम तथा भाई भगवानसिंह ने बचाया। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर चले गए। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क्र०-120/16 पंजीबद्ध किया गया। आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। दौराने अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या दिनांक 30.10.16 को 19:30 बजे आहत रामरतन व रामहेत को धारदार हथियार की कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति ?

2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान फरियादी के घर के सामने आम रास्ता ग्राम पिपाडी सार्वजनिक स्थान पर फरियादी रामरतन को उपहति कारित करने के आशय से फरसे से मारपीट कर उसे तथा उसे बचाने आए रामहेत को भी फरसे से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा० धीरज गुप्ता अ०सा० 1, रामरतन अ०सा० 2 व रामहेत अ०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7. फरियादी रामरतन अ०सा० 2 का कथन है कि पिछली दीवाली के शाम के 8 बजे वह अपने घर पर था। उसका घर बंटवारे को लेकर अभियुक्त से विवाद हो गया था और धक्का मुक्की हो गयी थी। जब वह और उसका लड़का रामहेत रिपोर्ट करने जा रहे थे तो घर के बाहर लगे गौडा में बल्ली टूट जाने से टीनशैड उनके सिर पर गिर गया जिससे उन्हें चोट आई थी। साक्षी धक्का मुक्की और बंटवारे पर विवाद की रिपोर्ट लिखाया जाना बताता है। अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त द्वारा किसी भी धारदार वस्तु से उपहति कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं करता है। रामहेत अ०सा० 3 भी इसी का समर्थन करता है कि उसे व उसके पिता रामरतन को आई चोटें टीनशैड की बल्ली टूट जाने से उनके उपर गिरने से कारित हुई। इस प्रकार से दोनों आहतगण व अभियोजन के सर्वोत्तम साक्षीगण अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त पर अधिरोपित आरोप के संबंध में कोई समर्थन नहीं करते हैं।

8. अभियुक्तगण से न्यायालय द्वारा सत्यता परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे गए जिसमें दोनों ही साक्षी अपने अभिसाक्ष्य पर दृढ़ रहे। उनके द्वारा अभियुक्त के स्वेच्छिक रूप से धारदार वस्तु फरसा से उपहति कारित करने के संबंध में तथ्य सुझाए जाने पर इंकार किया है। दोनों ही साक्षी अशिक्षित हैं, उन्हें रिपोर्ट प्रपी० 3 तथा पुलिस कथन प्र०पी० 5 व 6 के सुसंगत भाग की ओर भारतीय साक्ष्य अधि०

1872 की धारा 145 के अधीन ध्यान दिलाए जाने पर उनके द्वारा पूर्वतन कथनों के संबंध में इंकार किया है। ऐसे में साक्षीगण की साक्ष्य में परस्पर विरोधाभासी कथन उनके अभियोजन के मामले के आधार प्राथमिकी प्र०पी० 3 व पुलिस कथन प्र०पी० 5 व 6 के विपरीत हैं।

9. चिकित्सक डा० धीरज गुप्ता अ०सा० 1 ने अपने अभिसाक्ष्य में आहतगण को कटे हुए घाव पाए जाने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि यदि आहतगण के उपर कोई धारदार वस्तु टीनशैड आदि गिरे तो उन्हें चोट कारित होना संभव है। आहतगण द्वारा अभिसाक्ष्य में उन्हें आई चोटें टीनशैड की बल्ली टूट जाने के कारण उनके उपर टीनशैड गिर जाने के फलस्वरूप कारित होने का कथन किया है। ऐसे में अभियुक्त के बचाव को बल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में कोई भी फरसा अभियुक्त से जब्त नहीं किया गया है।

10. संहिता की धारा 324 के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु असन, भेदन या धारदार वस्तु या क्षारीय वस्तु अथवा ऐसी घातक वस्तु जिसका इस प्रकार प्रयोग करने से मृत्यु कारित होना संभव है, के माध्यम से स्वेच्छा उपहति कारित किए जाने के संबंध में साक्ष्य होना आवश्यक है। अभिलेख पर किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त या अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी धारदार वस्तु से उपहति कारित किए जाने के संबंध में कथन नहीं किया है। यदि तर्क के लिए आहत को घटना दिनांक को चोट कारित होना प्रमाणित भी माना जाए तो उक्त चोट के संबंध में फरियादी के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है। जहां तक पुलिस रिपोर्ट प्र०पी० 3 एवं पुलिस कथन क्रमशः 5 व 6 का प्रश्न है तो उसके संबंध में सुस्थापित है कि वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। न्यायदृष्टान्त— रवि कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दफ़्तर के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है।

11. उपरोक्त विवेचन से यदि अभियुक्त के विरुद्ध मामला प्रमाणित होता भी है तो वह मात्र धारा 323 भादवि० का प्रमाणित होता है जिसके संबंध में फरियादी द्वारा राजीनामा कर अपराध का शमन कर दिया गया है। ऐसे में अभियुक्त दण्डित नहीं किए जा सकते हैं। प्रकरण में संहिता की धारा 324 दो काउण्ट के अधीन अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः अभियुक्त संदेह के आधार पर धारा 324 दो काउण्ट भादवि० से दोषमुक्त किया जाता है। राजीनामा का प्रभाव अन्य आरोपों के संबंध में शमन किए जाने के आधार पर दोषमुक्ति का होगा।

12. अभियुक्त की जमानत भारमुक्त की जाती है। उनके निवेदन पर मुचलका निर्णय से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

13. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

सही /—

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही /—

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश